राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारीः— श्री विकास शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 275/2024 प्रा0पत्र

अनवान

श्वर सिंह पुत्र लुम्ब सिंह जाति रावत आयु वयस्क निवासी वाला, नंदावट तहसील भीम जिला जसमंद।

.....प्रार्थी

बनाम

1. शांता देवी पत्नि उजागर सिंह।
2. गोपाल सिंह पुत्र देवी सिंह।
3. प्रभुदयाल सिंह पुत्र देवी सिंह।
4. मीरा देवी पत्नि देवी सिंह।
5. ललित सिंह पुत्र देवी सिंह।
6. सुजा पुत्र नोलसिंह।
7. सवाई सिंह पुत्र किशन सिंह।
8. तेजपाल सिंह पुत्र किशन सिंह।
9. बलवीर सिंह पुत्र किशन सिंह।
10. भगत सिंह उर्फ सवाई सिंह पुत्र जसवंत सिंह।
    समस्त जाति रावत आयु वयस्क निवासीयान् वाला, नंदावट तहसील भीम जिला राजसमन्द।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीम/उपपंजीयन अधिकारी तहसील भीम जिला राजसमन्द।

.....अप्रार्थीगण

उपस्थितः—

01. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री ललित कविया
02. अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक :— 17/2/20

01. प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 से 10 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य में मौजा नंदावट, पटवार क्षेत्र टोगी तहसील भीम जिला राजसमंद में वर्णित आराजियात के खाता संख्या 650 आराजी खसरा संख्या 2778/2427 रकबा 0.2225 है0 किस्म बंझड़ है। उक्त वर्णित आराजियात में वर्णित भूमि में प्रार्थी का

Scanned with OKEN Scanner

उक्त भूमि में हिस्सा कुल भूमि 0.2225 है0 भूमि में से 1/10 प्रार्थी का हिस्सा 0.0222 है0 भूमि का हिस्सा आया हुआ है। यह कि काश्तकार सोनी पत्नि किशनसिंह का देहान्त हो जाने से इनके स्थान पर इनके वारिसान अप्रार्थी संख्या 07 जो कि स्वयं काश्तकार है तथा अप्रार्थी संख्या 08 व 09 का नाम दर्ज है। यह कि अप्रार्थी संख्या 10 जिनका वर्तमान जमाबंदी में लिपिकीय त्रुटि से नाम सवाई सिंह पुत्र जसवन्तसिंह नाम दर्ज है तथा उक्त काश्तकार का नाम असल दस्तावेजों में नाम भगत सिंह पुत्र जसवन्तसिंह दर्ज है जो कि सही नाम है। प्रार्थी का जमीन रिकॉर्ड में हिस्सा अलग–अलग नही है जिस कारण से प्रार्थी अपने हिस्से को उन्नत व विकसित नही कर पा रही है व मौके पर हिस्से का विवाद रहता है इससे प्रार्थी अपने आने वाले हिस्से का पृथक से बंटवारा करवाना चाहता है एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 10 तक को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जावे कि वे उक्त वर्णित आराजियात पर किसी भी प्रकार का कब्जा नही करें तथा उक्त आराजी को किसी को भी विक्रय रहन बख्शीस नही करे न ही अन्य किसी से करावे। उक्त के क्रम में प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति है क्योंकि अप्रार्थीगण संख्या 01 से 10 अपने ताकत के बल पर उक्त भूमि को हड़प लेगे व प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि पर कब्जा कर लेगे या फिर नवनिर्माण कर लेगे तो ऐसी स्थिति में व्यर्थ में मुकदमें बाजी बढेगी व अप्रार्थीगण संख्या 01 से 10 येनकेन प्रभावों से सम्पूर्ण आराजियात पर कब्जा करना चाह रहे है जिससे विवाद बढेगा व्यर्थ में मुकदमें बाजी बढ़ेगी जिसकी पूर्ति अर्थ से संभव नही है। यह कि सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि भूमि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य में चली आ रही है तथा मौके पर प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है तथा निरंतर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 01 से 10 को जरिये निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावे कि वे प्रार्थी के कब्जेशुदा उक्त आराजी जो प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 02 में दर्शाये हुए है मूल प्रकरण के निस्तारण तक किसी प्रकार की मदाखलत, मजाहत नही करे व न ही अन्य से करावे तथा अप्रार्थी संख्या 11 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाया जाना आवश्यक है कि उक्त भूमि को रहन बख्शीस विक्रय विलेख नही करे न ही अन्य से करावें तथा उक्त आराजियात अप्रार्थीगण संख्या 01 से 10 किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द न ही अन्य से करावे।

02. प्रार्थना पत्र दिनांक 20.12.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। सुनवाई दिनांक 17.11.2025 को अप्रार्थीगण की तलबी प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 03.02.2026 को अप्रार्थीगण अनुपस्थित होने के कारण अप्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में सुनवाई दिनांक 03.02.2026 को प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रार्थी द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दु पुनः दोहराए गए।

03. हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, उभयपक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का गहन अध्ययन कर इस नतीजे पर पहुंचे कि वादग्रस्त भूमि बाबत विभाजन मूल दावे के निर्णय में तय होता है। **<u>प्रथम दृष्टया</u>** चूंकि प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार है। प्रार्थी तथा अप्रार्थी उक्त आराजी में अपने निर्धारित हक हिस्से पर कब्जा काश्त है। अतः मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष का नही है। प्रथम

Scanned with OKEN Scanner

दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का ना होने से **अपूर्णनीय क्षति** तथा **सुविधा संतुलन** के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष के नहीं है।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं के विवेचन आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है अतः उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरा द्वारा लिखवाया जाकर दिनांक 17/2/2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द